संख्या-880/पी0आर0सी0/चौ0-1-89-20/उ0वै0रि0/88टी0सी0

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/नोयडा एवं बीडा
के मुख्य कार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 12 मार्च 1990

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1221/चौवालिस-1/85, दिनांक 27 मई, 1985 का अतिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) उपार्जित अवकाश का नगदीकरण अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना किया जा सकेगा।

(2) रु0 2900/- प्रतिमाह अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सेवकों को कलेण्डर वर्ष में एक बार 30 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा। इसके लिये उनके अवकाश लेखे में अवकाश नकदीकरण के पहले कम से कम 90 दिन का अवकाश होना आवश्यक है।

(3) रु0 2900/- प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कलेण्डर वर्ष में एक बार 15 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा। इसके लिए उनके अवकाश लेखे में अवकाश नकदीकरण के पहले कम से कम 75 दिन का अवकाश होना आवश्यक है।

(4) निगम की सेवा से त्याग-पत्र देने या सेवाच्युत किये जाने की दशा में अनुपयुक्त उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-880 (1)/पी0आर0सी0/चौ0-1-89-20/उ0वै0रि0/88टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के संबंधित सचिव/विशेष सचिव।
(2) शासन के संबंधित अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (6 प्रतियां)
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ। (10 प्रतियां)

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनुसचिव।